



न्यायालय शौचनीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर.

निगरानी प्रकरण क्र०/

/2007



(18)

R 417-III/07

रेणू सिंह पत्नी प्रभाकर सिंह निवासी ग्राम महुख कटौला, तह० रामपुर बघेलान
जिला सतना, हाल मुकाम 13/26 वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली.

-----आवेदिका

बनाम

01-सम्पत देवी पत्नी रामनिहाल सिंह

02- रेणू सिंह पत्नी दिवाकर सिंह

दोनों निवासी ग्राम महुख कटौला, तह० रामपुर बघेलान जिला

श्री. राजेश अग्रवाल सतना, हाल विकास एस-434 सरिता विहार नई दिल्ली.
द्वारा आज दि. 3-3-07 को प्रस्तुत।

-----अनावेदिकागण.

अधर सचिव

राजेश अग्रवाल स. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अमर कमिश्नर रीवा
संभाग रीवा दिनांक 20.12.2006 जो प्रकरण क्र० 10/
अपील/06-07 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०सं०1959

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

।01। यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के
विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

।02। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण की अपील स्वीकार करने
तथा अनुविभागीय अधिकारी, तह० रामपुर बघेलान, जिलासतना द्वारा पारित
आदेश दिनांक 30.09.2006 को निरस्त करने में एक महान् कानूनी भूल की है।

Rh

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

80

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक... R.412/III.10... विला... 4000

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	समाप्तों एवं अभियन्तकों आदि के हस्ताक्षर
11.11.16	<p>आवेदन अति.जी मुकेश मार्कि उपल अति.जी एसके वागपत्री उपल अति.जी मुकेश</p> <p>C.F 29.11.16</p>	<p>29.11</p> <p>[Signature]</p>
29.11.16	<p>आवेदन अति.जी मुकेश मार्कि उपल अति.जी एसके वागपत्री उपल अति.जी मुकेश</p> <p>C.F 12.1.17</p>	<p>9.2.19/2016</p> <p>[Signature]</p>
12.6.17	<p>आवेदन अति.जी मुकेश मार्कि उपल अति.जी एसके वागपत्री उपल अति.जी मुकेश</p> <p>C.F 12.6.17</p>	<p>[Signature]</p>

[Signature]

सिद्ध